परिचय

लम्बे समय से चली आ रही मांग के फलस्वरूप किशोरावस्था शिक्षा प्रदान करने से जुड़ी पाठ्यचर्या को विद्यालयों में लागू करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। यद्यपि 1970 व 1980 के दशकों में इस सम्बन्ध में प्रयास भी हुआ और विषय सामग्री विकसित की गई परन्तु सुनियोजित प्रयत्न केवल 1990 के दशक के प्रारम्भ में ही सम्भव हो सका। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें किशोरावस्था शिक्षा के उन महत्त्वपूर्ण पहलुओं को जो की विद्यालय पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं, को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया गया। अप्रैल 1993 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में किशोरावस्था शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़े जाने पर सहमति बनी व इसे स्कूली पाठ्यक्रक्रम में लागू किए जाने की संस्तुति की गई। इस शिक्षा से अभिप्राय जीवन की उस अवस्था की जानकारी से है जिसमें छात्र शैशवकाल से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यही जीवन का वह चरण है जिसमें मुख्यतः यौन विकास होता है। इस संगोष्ठी में जिन नए पाठ्य क्षेत्रों की पहचान की गई वे यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर ही केन्द्रित थे।

प्रजनन स्वास्थ्य

1994 में काहिरा में 'जनसंख्या तथा विकास' विषय पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रजनन स्वास्थ्य पर एक कार्य-योजना स्वीकृत की गई जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषा किया गया : ''प्रजनन स्वास्थ्य मात्र प्रजनन प्रणाली कार्यतन्त्र तथा संरचना के रोग रहित होने का नाम नहीं है, अपितु एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। प्रजनन स्वास्थ्य तथा उसकी देखभाल उन साधनों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का पुंज है जो प्रजनन स्वास्थ्य एवं कुशलता को बढ़ावा देते हैं। इसमें यौन स्वास्थ्य भी सम्मिलित है जिसका उद्देश्य संतति विकास और व्यक्तिगत सम्बन्धों में मधुरता स्थापित करना भी है न कि केवल प्रजनन स्वास्थ्य तथा यौन संचारित रोगों के बारे में परामर्श तथा सावधानियों पर चर्चा करना।'' अतः प्रजनन स्वास्थ्य से यह आशय है कि लोगों में प्रजनन की क्षमता हो और वे यह निर्णय करने में स्वतन्त्र हों कि उन्हें कब और कैसे यौन व्यवहार करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में दायित्वपूर्ण एवं स्वस्थ यौनचर्या अपना सकें।

किशोरावस्था शिक्षा का प्रारूप

किशोरावस्था शिक्षा के प्रारूप की विकास प्रक्रिया 1994 में आयोजित काहिरा सम्मेलन की समवर्ती थी इस लिए इसमें उस सम्मेलन की कार्ययोजना की सिफारिशों का आना तो स्वाभाविक ही था। इस प्रारूप के निर्माण में बीजिंग में 1995 में आयोजित चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के अनुबंधों को भी शामिल किया गया। दोनों ही प्रस्ताव समूची मानवता के इस संकल्प को अभिव्यक्त करते हैं कि ''किशोरों के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तथा सेवाओं को प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा की जायेगी तथा हर संभव प्रयत्न किया जाएगा कि उन्हें इस विषय में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो''। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 के प्रस्तावों का पूर्वाभास इस प्रारूप में मिल जाता है। जिसके अनुसार किशोरों को जनसंख्या शिक्षा से वंचित समूह माना गया और यह स्वीकार किया गया कि - 'किशोरों की आवश्यकताएं जिनमें अनचाहे गर्भधारण और यौनसंचारित रोगों से सुरक्षा भी सम्मिलित है, की ओर इससे पूर्व विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।' इसमें यह सिफारिश की गई है कि किशोरावस्था की विशेष आवश्यकताओं - जैसे सूचना, परामर्श, जनसंख्या शिक्षा, गर्भनिरोधक सेवाओं तक पहुंच व सामर्थ्य और पूरक भोजन तथा संतुलित आहार प्रदान करने कि ओर उचित ध्यान देना आवश्यक है। किशोरावस्था शिक्षा की संकल्पना में प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य के तीन मुख्य अंग हैं -

1. वृद्धि प्रक्रिया
2. एच आई वी संक्रमण तथा एड्स
3. मादक पदार्थों का व्यसन

उपर्युक्त तीनों अंग मनुष्य के वास्तविक व्यवहार से सम्बन्धित हैं अतः यह सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसके अतिरिक्त, किशोरावस्था शिक्षा के उद्देश्य मुख्यतः असंज्ञानात्मक क्षेत्र (Non-Cognitive Domain) से जुड़े हैं। निःसन्देह किशोरावस्था शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों की वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। किन्तु इसका मुख्य केन्द्र-बिन्दु विद्यार्थियों में स्वस्थ चिंतन तथा दायित्वपूर्ण व्यवहार पैदा करना और इससे भी बढ़ कर उनमें ऐसी क्षमताएं विकसित करना है, जिससे वे यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं और स्थितियों का सामना कर सकें।

वास्तव में किशोरावस्था शिक्षा सामान्य पाठ्यचर्या से कई संदर्भों में भिन्न है क्योंकि यह ज्ञान और व्यवहार के दायरे से हट कर विद्यार्थियों में कौशल विकास पर विशेष बल देती है। शिक्षा, विशेषतया विद्यालयी शिक्षा से यह उम्मीद की जाती है कि वह विद्यार्थियों को अपने आस-पास की दुनिया को समझने और उससे जुड़ने में सहायक बने। वह दुनिया जो केवल उन्हें प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तक ही सीमित न रखे अपितु जीवन के अन्य सभी पहलुओं की भी जानकारी दे। विद्यार्थियों में अपने आस-पास के व्यक्तियों से तथा अपने आप से रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करना एक ऐसी योग्यता है जिसे आधुनिक कक्षा-कक्ष शिक्षा ने पूर्णतया नजरअन्दाज किया है। यही योग्यता कौशल कहलाती है। शिक्षा के माध्यम से कौशल का विकास वैयक्तिक घनिष्ठता मांगता है, जबकि कक्षा-कक्ष में प्रदत्त शिक्षा में यह पक्ष मुख्यतः अछूता रह जाता है।

किशोरावस्था शिक्षा में शिक्षण की गैर-परंपरागत पद्धति की आवयश्ता है। यद्यपि विद्यार्थियों को ''किप्रयौस्वा'' से अवगत करवाने तथा उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के विकास के लिए शिक्षण की परंपरागत पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु इन परंमपरागत ढंगों से ''किप्रयौस्वा'' से संबंधित कौशल विकास के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः किशोर-शिक्षा के लिए हमें पाठशालाओं में शिक्षा की अभिनव पद्धतियों का विकास तथा प्रयोग करना होगा।

विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा

स्कूली पाठ्यक्रम में किशोरावस्था शिक्षा को लागू करने के कई प्रयास हो चुके हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में किशोरावस्था शिक्षा को जोड़ने तथा किशोरावस्था शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न दो मार्ग अपनाए जाने हैं :

1. पाठ्यचर्या उपागम (Curricular Approach)

इस उपागम के अन्तर्गत किशोरावस्था शिक्षा के मुख्य तत्वों को स्कूली शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया में समेकित किया जाना है। विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के प्रारूप में इन तत्त्वों को शामिल करने की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है और इन्हें सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम

में समेकित किए जाने के प्रयास जारी हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में बहुत समय लग सकता है। किशोरावस्था शिक्षा को स्कूल शिक्षा पद्वति में सम्मिलित कर हमें इसे अपनाना ही होगा।

2. पाठ्य सहभागी उपागम (Co-Curricular Approach)

स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किशोरावस्था शिक्षा के सम्मिलित होने में तो अभी बहुत समय लग सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में किशोरों की आवश्यकताएं व वैचारिक स्थिति इतनी नाजुक है कि उचित पग उठाने में और अधिक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अतः किशोरावस्था शिक्षा जितनी जल्दी प्रारम्भ की जाए उतना ही अच्छा है। पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों द्वारा पाठ्यसहभागी क्रियाओं के माध्यम से इसे प्रारम्भ किया जा सकता है। किशोरों को वांछित जानकारी देने तथा उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन के लिए अभिनव गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

समस्त भारत के चयनित विद्यालयों में पाठ्यसहभागी गतिविधियों के माध्यम से किशोरावस्था शिक्षा प्रारम्भ की गई है। इन गतिविधियों के द्वारा न केवल यौन शिक्षा जैसे विषय की पाठशालाओं तथा समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है अपितु समुचित अध्यापन-कला के विकास का अवसर भी प्राप्त हुआ है। गत चार वर्षों में इस दिशा में किए गए प्रयास उत्साहवर्द्धक रहे हैं किन्तु अभी इस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि इन गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में समुचित क्षमताओं और कौशल का विकास हुआ है । अतः न केवल इन गतिविधियों के गहन तथा योजनाबद्ध प्रबन्धन की आवश्यकता है अपितु इस शिक्षा के द्वारा किशोरों और युवाओं की मानसिकता में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का आकलन भी आवश्यक है।

प्रशिक्षण सामग्री (Training Material)

किशोरावस्था शिक्षा की यह योजना प्रयोग के तौर पर छः राज्यों में प्रारम्भ की गई है। जिसके लिए समुचित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है। इस सामग्री को दो भागों में विभाजित किया गया है :

भाग 1. परिचय : इसमें दो इकाईयां हैं -

1. किशोरावस्था शिक्षा
2. किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास

भाग 2. पाठ्यसहभागी गतिविधियां : इनमें निम्न इकाईयां हैं -

1. प्रश्न-पेटी
2. भूमिका अभिनय
3. मूल्यों का स्पष्टीकरण
4. सामूहिक चर्चा
5. वाद-विवाद
6. वैयक्तिक अध्ययन
7. पोस्टर/चित्रकला प्रतियोगिता
8. निबन्ध लेखन
9. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
10. अध्यापक मंत्रणा

वर्तमान सामग्री काफी कुछ हमारे पूर्व-प्रकाशन **Adolescence Education in Schools : Package of Basic Material (1999)** पर आधारित है। अन्य स्रोतों से भी सहायता ली गई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री का भारतीय पाठशाला पाठ्यचर्या तथा सांस्कृतिक लोकाचार की आवश्यकतानुसार अनुकूलन किया गया है।

आशा की जाती है कि यह प्रशिक्षण सामग्री किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास हेतु प्रभावशाली प्रशिक्षण पद्धति के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। किशोरावस्था शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर तैयार प्रशिक्षण सामग्री में निरन्तर संशोधन की आवश्यकता बनी रहती है। अतः इस संबन्ध में आपके सुझाव हमारे प्रयास को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।